


निगरानी 4040-114

76



Rs 20/-

837  
4.12.14

- 11] रुपन पिता सिद्ध साहू उम्र वर्ष,
  - 12] लखनलाल पिता अनन्तराम उम्र- 55 साल ,
  - 13] सुग्रीव प्रसाद पिता अनन्तराम उम्र- 45 साल
- सभी का पेशा-लोती, निवासी ग्राम भाभौरा तहसील व धाना माड़ा  
जिला झिरोली मद्रास ===== अधिका / निगरानीकर्ता

बनाम

- 11] बोरार्ड पिता चुरह साहू उम्र- 70 साल,
  - 12] हर्ष पिता चुरह साहू उम्र- 65 साल,
  - 13] रमई पिता चुरह साहू उम्र- 62 साल
- सभी का पेशा- लोती निवासी ग्राम भाभौरा तहसील व धाना माड़ा  
जिला झिरोली मद्रास ===== अधिका / निगरानीकर्ता

श्री. अशोक साहू

रा. आ. वि. क्र. 4.12.14

सिक्रेटरी  
सिक्रेटरी

3892

राजस्व विभाग, मद्रास प्रशासनिक बोर्ड, चेन्नई  
सिक्रेटरी ऑफिस

निगरानी विभाग में अधिका के आदेश श्रीमान्  
तहसीलदार बृत्त माड़ा तहसील माड़ा जिला  
झिरोली के राजस्व प्रकरण क्रमांक -

0275-70/13-14 में पारित आदेश दिनांक  
5/11/14

निगरानी अधिका धारा- 50 मद्रास अधिका रटो  
संवि. 1959 ई०.

मान्यवर,

संक्षिप्त तथ्य:-

ग्राम लोती तहसील माड़ा जिला- झिरोली की भूमि  
कासरा क्रमांक- 247 रकबा 0.73 हे० जो अधिका के स्वतंत्र अधिका की

क्रमांक: 2 पर

*(Handwritten signature)*

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4040-तीन/2014

जिला सिंगरौली

रूपन विरूद्ध बोखई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-04-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील माड़ा जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 02/अ-70/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 05-11-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को कलेक्टर जिला सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे ।</p>	<p>(बी.एम.शर्मा) सदस्य</p>